

// कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, जिला-बालोद(छ.ग.) //
Phon No-07749 223918 - email-deobalo@gmail.com

-:: आदेश ::-

क्रमांक/ 1777 /स्था. 03/प्र.पा.पदो./2024

बालोद, दिनांक: 13 मार्च 2024

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधरण) प्राधिकार से प्रकाशित रायपुर मंगलवार, दिनांक 05 मार्च 2019 फाल्गुन 14 शक 1940, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटलनगर द्वारा दिनांक: 05 मार्च 2019 की अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 19 में सहायक शिक्षक एल.बी.(प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति हेतु कॉलम नम्बर (3) में निर्धारित सेवा अनुभव 05 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप जिला बालोद (छ.ग.) अंतर्गत सहायक शिक्षक एल.बी. (प्रशिक्षित) से प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नति हेतु शासन के निर्देशानुसार दिनांक: 11.03.2024 को जिला स्तरीय विभागीय पदोन्नति/छानबीन समिति की बैठक में पारित निर्णय/अनुशंसा अनुसार निम्न सहायक शिक्षक (एल.बी.) टी संवर्ग प्रशिक्षित को प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर सातवें वेतनमान मैट्रिक्स 35400-112400 लेवल 08 (वेतन बैंड रू.9300-34800 ग्रेड वेतन 4200) में शर्तों के अधिन पदोन्नत किया जाता है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यरत संस्था का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5
1	श्रीमति सुशीला आर्य	सहा.शि.(एल.बी.)	शास.बा.प्राथ.शाला अवारी	डौण्डी
2	श्रीमती हीरा गंजीर	सहा.शि.(एल.बी.)	शासकीय प्राथमिक शाला आश्रम जगतारा	गुरुर
3	कु. किरण श्रीवास्तव	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. जबकसा	डौण्डी
4	कु. उर्वशी साहू	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. मलकुवंर	डौण्डी
5	श्री भेख राम साहू	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. मरामखेड़ा	डौण्डी
6	श्री योगेश कुमार चन्द्राकर	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. आमाबाहरा	डौण्डी
7	श्रीमती तृप्ति पाल	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शाला.हाथीगार्रा	डौण्डी
8	श्री सुरेश राव	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा.भुरकाभाट	डौण्डी
9	श्रीमति मंजू श्रवण	सहा.शि.(एल.बी.)	शास.प्रा.शाला आश्रम बगदई	गुरुर
10	श्री नोहर सिंह ठाकुर	सहा.शि.(एल.बी.)	शास.बा.प्रा.शा. मरकाटोला	डौण्डी
11	श्रीमती रीता बख्शी	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. कोण्डेकसा	डौण्डी
12	श्री आशीष कुमार सक्सेना	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.उ.मा.वि.कुआगोंदी	डौण्डी
13	श्रीमति त्रिवेणी चौरका	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा मडियाकट्टा	डौण्डी

L

शेष पृष्ठ क्रमांक 02 पर..

14	श्री मनभावन साहू	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा शा.धुर्वाटोला	डौण्डी
15	श्री सुरेन्द्र कुमार साहू	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. खर्रीटोला	डौण्डी
16	श्रीमती अंबा बैस	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. कुसुमकसा 01	डौण्डी
17	श्रीमती हेमलता कोसमा	सहा.शि.(एल.बी.)	शा. कन्या प्रा.शा. भर्रीटोला	डौण्डी
18	श्रीमती ममता शर्मा	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा शा. गुदुम	डौण्डी
19	श्री शंकर प्रसाद बधेल	सहा.शि.(एल.बी.)	शा.प्रा.शा. होदेकसा	डौण्डी

उपरोक्त सहायक शिक्षक (एल.बी.) टी-संवर्ग प्रशिक्षित की प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति में पदस्थापना किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. काउंसिलिंग जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के द्वारा कराई जावेगी ।
2. जिला स्तर पर काउंसिलिंग की तिथि पृथक से सूचित की जायेगी।
3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रधान पाठक प्राथमिक शाला क रिक्त पद पर ही काउंसिलिंग की जावेगी।
4. काउंसिलिंग हेतु उपलब्ध रिक्त पद संबंधित शिक्षकों के अवलोकन हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के सूचना पटल में चस्पा रहेगा। ताकि सभी शिक्षक इसका अवलोकन कर सकें।
5. काउंसिलिंग हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में बुलाया जावेगा:-
 - 1.महिला दिव्यांग (दिव्यांग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)
 - 2.पुरुष दिव्यांग (दिव्यांग हेतु सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)
 - 3.महिला गंभीर बिमारी (जिला मेडिकल बोर्ड से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)
 - 4.पुरुष गंभीर बिमारी (जिला मेडिकल बोर्ड से प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)
 - 5.शेष महिला वरिष्ठता क्रम में।
 - 6.शेष पुरुष वरिष्ठता क्रम में।

उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 के प्रमाण में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा। यदि कोई शिक्षक प्राथमिकता क्रम हेतु उपरोक्त क्रमांक 01 से 04 तक में आता है तो वह दिनांक: **15.03.2024 को शाम 03:00 बजे** तक मय अभिलेख अपना अभ्यावेदन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समिति के विचारोपरांत मान्य होने पर यथा स्थान लाभ दिया जावेगा।

6. उपरोक्तानुसार प्राथमिकता क्रम में तैयार सूची शिक्षकों को अवलोकन हेतु कार्यालय के सभा कक्ष में **16.03.2024 को 10:00 बजे** से उपलब्ध रहेगा ताकि सभी शिक्षक इसका अवलोकन कर सकें।


शेष पृष्ठ क्रमांक 03 पर..

L.L

7. काउंसिलिंग में शिक्षक द्वारा स्थान का चयन किये जाने के उपरांत उनसे सहमति पत्र भरवाया जावेगा। काउंसिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व ही सहमति पत्र उपलब्ध करा दिया जावेगा। ताकि वे चयन स्थान को छोड़कर अन्य जानकारी पहले से ही भर लें।
8. काउंसिलिंग में यदि कोई शिक्षक अपने क्रम आने के समय में अनुपस्थित रहता है और बाद में उपस्थित होता है तो उसे काउंसिलिंग में सबसे अंत में अवसर दिया जावेगा।
9. काउंसिलिंग में अनुपस्थित एवं काउंसिलिंग में सहमति नहीं देने वाले शिक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग के पश्चात् शेष बचे रिक्त पद पर कार्यालय द्वारा की जावेगी।
10. सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला-बालोद को उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को सूचित करना सुनिश्चित करें।

शर्त :-

01. ये पदोन्नतियाँ छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/एफ 20-03/2019/1-3/नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.12.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P./PIL/NO.-91/2019 Date 08.01.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WPS- NO.-659 /2022 Date 03-02-2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
02. जिन सहा.शि.(एल.बी.) के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, तो ऐसे सहा.शि.(एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें भारमुक्त न किया जावे एवं जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे।
03. पदोन्नत सहा.शि. (एल.बी.) द्वारा पदोन्नति से इंकार किये जाने पर छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/1-1/1/वे.आ.प्र./99/दिनांक 23.09.2012 के तहत उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जायेगा।
04. पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।



(मुकुल के.पी.साव)
जिला शिक्षा अधिकारी,
बालोद (छ0ग0)

//04//

पृष्ठां.क्रमांक/ 1278 /स्था. 03/प्र.पा.पदो./2024
प्रतिलिपि,

बालोद, दिनांक: 13 मार्च 2024

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग, की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बालोद/गुरुर/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/डौण्डी, जिला-बालोद, को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. सर्व प्रधान पाठक शा.प्रा.शाला, जिला-बालोद को सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधित सहायक शिक्षक (एल.बी.), को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. गार्ड फाईल।


जिला शिक्षा अधिकारी,
बालोद (छ.ग.)